SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

प्रकरण संख्या 493/2017 प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय संख्या 03, जयपुर में दिनांक 15.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में पक्षकारान् का विवाह वर्ष 2015 में सम्पन्न हुआ था तथा वर्ष 2017 से अलग रह रहे थे। यह प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2019 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार बिखरता हुआ परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

प्रकरण संख्या 124/2018 प्रार्थिया द्वारा अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण हेतु धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पारिवारिक न्यायालय संख्या 03, जयपुर में दिनांक 29.01.2018 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में पक्षकारान् का विवाह वर्ष 2006 में सम्पन्न हुआ था तथा वर्ष 2016 से अलग रह रहे थे। उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2019 में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों को समझाया एवं साथ रहने हेतु प्रेरित किया जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर में दिनांक 09.05.2017 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी का विवाह 06 वर्ष पूर्व दिनांक 18.11.2013 को सम्पन्न हुआ था। इसके कुछ समय बाद प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य छोटी–मोटी बातों पर विवाद हो गया और दोनों अलग–अलग रहने लग गये। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार पति–पत्नि के आपसी विवाद का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अंत हो गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर में वादी पक्ष द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य भूमि विवाद था जो कि वर्ष 1983 से था। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी एवं विवाद को राजीनामे के माध्यम से निपटाने के लिए समझाईश की गयी। अंततः लगभग 36 वर्ष पुराने उक्त प्रकरण का दिनांक 14.12.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के विरूद्ध अंतर्गत धारा 13ए हिन्दू विवाह अधिनियम पारिवारिक न्यायालय, झुन्झुनूं में दिनांक 16.05.2017 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह 24 वर्ष पूर्व दिनांक 04.02.1995 को सम्पन्न हुआ था। प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मध्य छोटी–मोटी बातों पर विवाद हो गया और दोनों वर्ष 2007 से अलग–अलग रहने लग गये। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार बिखरता हुआ परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना जिला नागौर में वादी पक्ष द्वारा 22 वर्ष पूर्व दिनांक 09.04.1997 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य विवादित प्लॉट की तरफ खिड़कियां, दरवाजे निकालने से संबंधित विवाद था। उक्त प्रकरण में लगभग 175 पेशियां भुगती जा चुकी थी। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी एवं विवाद को राजीनामे के माध्यम से निपटाने के लिए समझाईश की गयी। अंततः लगभग 22 वर्ष पुराने उक्त प्रकरण का दिनांक 14.12.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण अपर जिला न्यायालय, नाथद्वारा जिला राजसमन्द में वादी पक्ष द्वारा 11 वर्ष पूर्व दिनांक 05.08.2008 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य धर्म विशेष के मंदिरों की सेवा, पूजा, देखभाल एवं संचालन के हक अधिकारों से संबंधित विवाद था। इस प्रकरण के विचारण के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो कि एक ही धर्म के व्यक्ति थे, के मध्य अन्य कई सिविल एवं आपराधिक प्रकरण भी समय–समय पर दर्ज होते गये। इस प्रकार पक्षकारान् के मध्य आपसी सौहार्द समाप्त होता गया एवं पारस्परिक वैमनस्यता भी उत्पन्न हो गयी। धर्म विशेष के मंदिरों की ऐतिहासिक धरोहर का महत्व एवं पक्षकारान् के मध्य पनपती वैमनस्यता को मध्य नजर रखते हुए उक्त प्रकरण को प्री–काउंसलिंग हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया गया। उक्त प्रकरण में कुल 156 पेशियां भुगती जा चुकी थी। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी एवं विवाद को राजीनामे के माध्यम से निपटाने के लिए समझाईश की गयी। अंततः लगभग 11 वर्ष पुराने उक्त प्रकरण का दिनांक 14.12.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया। साथ ही उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान दर्ज हुए 09 अन्य प्रकरणों का भी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.12.2019

यह प्रकरण प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध भरण–पोषण हेतु ग्राम न्यायालय, पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में दिनांक 12.04.2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य छोटी–मोटी बातों पर विवाद हो गया और दोनों अलग–अलग रहने लग गये। उक्त प्रकरण दिनांक 14.12.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार बिखरता हुआ परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।